न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तालेड़ा जिला (बून्दी)

पीठासीन अधिकारी हरबिन्दर डी. सिंह R.A.S

मिसल नं0	तारीख दायर	तारीख फैसला
68/दावा/2023	10/07/2023	23.01.2024

1. बाबूलाल पुत्र सरदारमल मृतक जर्ये वारिसान
1/1. लोकेश आ0 बाबूलाल आयु व्यस्क
1/2. मन्जू पुत्री बाबूलाल आयु व्यस्क
1/3. अन्जना पुत्री बाबूलाल आयु व्यस्क
1/4. चन्दादेवी पत्नी स्व0 बाबूलाल आयु व्यस्क जाति महाजन निवासी ग्राम डाबी तह0 तालेडा जिला बून्दी हाल निवासी बैंगू जिला चित्तोडगढ (राज.)

......वादीगण

बनाम

1. राजस्थान राज्य जर्ये तहसीलदार तहसील तालेडा जिला बून्दी (राज0)
2. सन्जू पत्नी कुलदीप आयु व्यस्क
3. विकिल सुराणा पुत्र कुलदीप आयु व्यस्क
4. हर्ष पुत्र कुलदीप आयु व्यस्क समस्त जाति महाजन निवासी ग्राम डाबी तह0 तालेडा हाल निवासी कोटा

...

प्रतिवादीगण

उपस्थित अभिभाषक
अधिवक्तावादीः– श्री बृजमोहन गौतम
अधिवक्ता प्रतिवादीः– श्री राजकुमार गौतम व पेरोकार सरकार

– : : निर्णय : : –

वाद अन्तर्गत धारा– 88,89 आर.टी.एक्ट

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 1970 के प्रावधानों के तहत आवंटन सलाहकार समिति मुकाम बून्दी आवंटन जिलाधीश बून्दी के द्वारा वादीगण व प्रतिवादीगण 2 लगायत 4 के पूर्वज बाबूलाल पुत्र सरदारमल महाजन को आराजी खसरा सं0 1655/862 रकबा 0.1619 हैक्टे0, ख0सं0 1859/1758 रकबा 1.9991 हैक्टे0,ख0सं0 1950/1758 रकबा 0.1133 हैक्टे0 कुल किता 3 रकबा 2.2743 हैक्टे0 वाके ग्राम डाबी तहसील तालेडा जिला बून्दी जिसके गत खसरा नम्बर 862/1 रकबा 1 बीघा व ख0सं0 1150/1328 रकबा 16 बीघा 19 बिस्वा रहे है का आवंटन दिनांक 23.10.1977 को मुकाम बून्दी में किया गया। उक्त आवंटन विधिवत रूप से आवंटन समिति द्वारा नियमानुसार किया गया था। आवंटनशुदा आराजीयात् बाबत कब्जा दर्ज किये जाने के आदेश दिनांक 27.10. 1977 को पारित किये गये एवं गैरखातेदारी इन्तकाल 259 दिनांक 26.10.1977 को ख0सं0 862 का व नामान्तकरण वसं0 341 दिनांक 15.6.1981 को ख0सं0 1150/1628 रकबा 16 बीघा19 बिस्वा का वादीगण के पिता व पति एवं पूर्वज बाबूलाल पुत्र सरदारमल के हक में खोला गया। उक्त आराजी पर वादीगण एवं प्रतिवादीगण 2 लगायत 4 के पूर्वज बाबूलाल के पश्चात वादीगण व प्रतिवादीगण 2 लगायत 4 काबिज कास्त चले आ रहे है। उक्त आराजी विरासतन् [illegible] 868 दिनांक 20.7.2006 को तस्दीक किया गया एवं तत्पश्चात जिसका अंकन जमाबन्दी [illegible]4 से 2067 में किया गया। किन्तु आवंटन शर्तो की पालना के बावजूद प्रतिवादी [illegible] 2 लगायत 4 को गैरखातेदार से खातेदार दर्ज नहीं किया गया जबकि अन्य आवं[illegible] के पक्ष में किये गये आवंटन अनुसार खातेदारी इन्द्राजात् किये जा चुके है। राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नि[illegible]70 के नियमों के अनुसरण में वादीगण व प्रतिवादीगण 2 लगायत 4 द्वारा [illegible]दग्रस्त आराजीयात पर कि[illegible]आवंटन के पश्चात नियमित रूप से काश्त की जा रही है एवं आवंटन नियमों की पूर्णतः पालना की गई है। वादीगण ने वाद विषयक भूमि को गैरखातेदारी से खातेदारी में दर्ज करवाने के लिए प्रतिवादी सं0 1 को कई बार निवेदन किया गया तथा अन्तिम बार वादीगण ने अन्तर्गत धारा 80 सीपीसी का दो माह की अवधि का नोटिस प्रतिवादी

Signature Not Verified
Digitally signed by Harbinder Dhillon Singh
Date: 2024.06.21 13:06:44 IST
Reason: SelfAttested

...1 को दिया गया। किन्तु प्रतिवादी सं0 1 द्वारा वादीगण व प्रतिवादी सं0 2 लगायत 4 के नाम वाद विषयक भूमि को गैरखातेदारी से खातेदारी में दर्ज नही किया गया। वादीगण माननीय न्यायालय से उपरोक्त आधार पर खातेदारी अधिकार की घोषणा करवाने का अधिकारी है। वादीगण ने इस आशय की निर्णय और डिक्री जारी करने का निवेदन किया है कि आराजी ख0सं0 862/1 रकबा 1 बीघा व ख0सं0 1150/1328 रकबा 16 बीघा 19 बिस्वा वाके ग्राम डाबी (वर्तमान ख0सं0 1655/862 रकबा 0.1619 हैक्टे0, ख0सं0 1859/1758 रकबा 1.9991 हैक्टे., ख0सं0 1950/1758 रकबा 0.1133 हैक्टे0) कुल किता 3 कुल रकबा 2.2743 हैक्टे0 वाके ग्राम डाबी को वादीगण व प्रतिवादी सं0 2 लगायत 4 के पक्ष में गैरखातेदारी से खातेदारी में दर्ज करने की घोषणा फरमाई जावे।

वाद पत्र को दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया।

प्रतिवादी सं0 2 लगायत 4 ने जर्ये अभिभाषक जवाब प्रस्तुत करने हुए वाद पत्र की चरण सं0 1 लगायत 12 को स्वीकार करते हुए प्रार्थना वादीगण स्वीकार की गई।

प्रतिवादी सं0 1 ने वाद पत्र में वर्णित तथ्यो के सन्दर्भ में मौका रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम डाबी में आराजी ख0सं0 1655/862 रकबा 0.1619 हैक्टे0, ख0सं0 1859/1758 रकबा 1.9991 हैक्टे0, ख0सं0 1950/1750 रकबा 0.1133 हैक्टे0 कुल किता 3 रकबा 2.2743 हैक्टे0 भूमि लोकेश , मंजू अन्जना पिता बाबूलाल हि0 3/5 चन्दादेवी पत्नि बाबूलाल हि0 1/5, हर्ष, विकिल पिता कुलदीप हि0 2/15, संजू पत्नि कुलदीप हि0 1/15 जाति महाजन सा. देह गैरखातेदार दर्ज रेकार्ड है। ख0सं0 1655/862 पर वादीगण का कब्जा नही है, ख0सं0 1859/1758 रकबा 1.9991 हैक्टे भूमि के मौके पर पत्थर स्टाक है मौके पर सहमति से रास्ता(पक्की सडक) निकलने से उक्त खसरा 2 भागो में विभक्त हो गया है। उक्त रास्ते की समीपस्थ भूमि पर दुकाने बनी हुई है रोड व दुकान में 0.2440 हैक्टे0 भूमि गई है शेष भूमि पर गैरखातेदारान् द्वारा चारदिवारी बनाकर तथा ख0सं0 1950/1758 पर भी चारदिवारी बना कर काबिज है ।

वादीगण की ओर से वाद पत्र के समर्थन में लोकेश आ0 बाबूलाल ने स्वयं का साक्ष्य में शपथ पत्र पेश किया व नकल जमाबन्दी खाता सं0 नया 288 सवंत 2076, रजिस्टर्ड नोटिस अन्तर्गत धारा 80 सीपीसी, आवंटन आदेश दिनांक 26.10.1977 की छायाप्रति, नामान्तकरण सं0 259 वाके ग्राम डाबी की छायाप्रति, नामान्तकरण सं0 341 वाके ग्राम डाबी की छायाप्रति, जमाबन्दी खाता संख्या नया 289 सम्वत् 2044-47 वाके ग्राम डाबी, जमाबन्दी खाता संख्या नया 286 सम्वत् 2048-51 वाके ग्राम डाबी, जमाबन्दी खाता संख्या नया 292 सम्वत् 2052-55 वाके ग्राम डाबी, जमाबन्दी खाता संख्या नया 294 सम्वत् 2056-59 वाके ग्राम डाबी, जमाबन्दी खाता संख्या नया 292 सम्वत् 2060-64 वाके ग्राम डाबी, जमाबन्दी खाता संख्या नया 206 सम्वत् 2064-67 वाके ग्राम डाबी, जमाबन्दी खाता संख्या नया 203 सम्वत् 2068-71 वाके ग्राम डाबी व जमाबन्दी खाता संख्या नया 288 सम्वत् 2076 वाके ग्राम डाबी की छायाप्रति पेश की गई।

प्रतिवादीगण 2 लगायत 4 की ओर से नामान्तरण सं0 258 वाके ग्राम डाबी की प्रमाणित प्रति, नकल जमाबन्दी खाता संख्या नया 289 सम्वत् 2044-47 वाके ग्राम डाबी, नकल जमाबन्दी खाता संख्या नया 322 सम्वत् 2039-42 वाके ग्राम डाबी व नामान्तकरण सं0 341 दिनांक 15.6.1981 वाके ग्राम डाबी पेश की।

वादीगण की ओर से साक्ष्य में पेश नही कर सीधे ही बहस हेतु निवेदन किया गया। पेरोकार सरकार व प्रतिवादी स0 2 लगायत 4 की ओर से साक्ष्य पेश नही किये गये।

बहस उपभपक्ष अभिभाषक सूनी गई । दौराने बहस वकील वादीगण द्वारा वादपत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुये वादीगण की कृषि भूमि को गैरखातेदारी से खातेदारी में दर्ज करने हेतु निवेदन किया। पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का अद्योपान्त अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड नकल जमाबन्दी खाता सं0 नया 288 सवंत 2076, रजिस्टर्ड नोटिस अन्तर्गत धारा 80 सीपीसी, आवंटन आदेश दिनांक 26.10.1977 की छायाप्रति, नामान्तकरण सं0 259 वाके ग्राम डाबी की छायाप्रति, नामान्तकरण सं0 341 वाके ग्राम डाबी की छायाप्रति, नकल जमाबन्दी खाता संख्या नया 322 सम्वत् 2039-42 वाके ग्राम डाबी, जमाबन्दी खाता संख्या नया 289 सम्वत् 2044-47 वाके ग्राम डाबी, जमाबन्दी खाता संख्या नया 286 सम्वत् 2048-51 वाके ग्राम डाबी, जमाबन्दी खाता संख्या नया 292 सम्वत् 2052-5[illegible] ग्राम डाबी, जमाबन्दी खाता संख्या नया 294 सम्वत् 2056-59 वाके ग्राम डाबी, जमाबन्दी खाता स[illegible] नया 292 सम्वत् 2060-64 वाके ग्राम डाबी, जमाबन्दी खाता संख्या नया 206 सम्वत् 2064-67 वाके ग्राम [illegible], जमाबन्दी खाता संख्या नया 203 सम्वत् 2068-71 वाके ग्राम डाबी व जमाबन्दी खाता संख्या नया [illegible] सम्वत् 2076 वाके ग्राम डाबी का अवलोकन करने से एवं वाद वर्णित तथ्यों का अवलोकन करने से यह स्पष्ट होता है कि दिनांक 23.10.1977 को वादीगण एवं प्रतिवादी सं0 2 लगायत 4 के पूर्वज बाबूलाल आ0 सरदा[illegible] महाजन निवासी डाबी को वाके ग्राम डाबी में कृषि भूमि 862/1 रकबा 1 बीघा व ख0सं0 1150/1328 रकबा 16 बीघा 19 बिस्वा का आवंटन हुआ था। जिसके वर्तमान नम्बर खसरा सं0 1655/862 रकबा 0.1619 हैक्टे0, ख0सं0 1859/1758 रकबा 1.9991 हैक्टे0,ख0सं0 1950/1758 रकबा 0.1133 हैक्टे0 कुल किता 3 रकबा 2.2743 हैक्टे0 वाके ग्राम डाबी है। पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड एवं तहसीलदार तालेडा द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट में कई भी उक्त आवंटन निरस्त

Signature Not Verified
Digitally signed by Harbinder Dhillon Singh
Date: 2024.06.21 13:06:44 IST
Reason: SelfAttested

...बाबत कोई रेकार्ड उपलब्ध नही करवाया गया, किन्तु आवंटनशुदा भूमि का वर्तमान में मौका रिपोर्ट अनुसार ...मान नकल जमाबन्दी खाता संख्या नया 288 सम्वत् 2076 अनुसार वादीगण एवं प्रतिवादी सं0 2 लगायत 4 की गैरखातेदारी में खसरा सं0 1655/862 रकबा 0.1619 हैक्टे0, ख0सं0 1859/1758 रकबा 1.9991 हैक्टे0 ,ख0सं0 1950/1758 रकबा 0.1133 हैक्टे0 कुल किता 3 रकबा 2.2743 हैक्टे0 वाके ग्राम डाबी अंकित है किन्तु मौके पर उक्त भूमि में से ख0सं0 1655/862 पर वादीगण का कब्जा नहीं है, ख0सं0 1859/1758 रकबा 1.9991 हैक्टे भूमि के मौके पर पत्थर स्टाक है मौके पर सहमति से रास्ता(पक्की सडक) निकलने से उक्त खसरा 2 भागो में विभक्त हो गया है। उक्त रास्ते की समीपस्थ भूमि पर दुकाने बनी हुई है रोड व दुकान में 0. 2440 हैक्टे0 भूमि गई है शेष भूमि पर गैरखातेदारान् द्वारा चारदिवारी बनाकर तथा ख0सं0 1950/1758 पर भी चारदिवारी बना कर काबिज है ।उक्त स्थिति में भूमि ख0सं0 1859/1758 रकबा 1.9991 में से 1.7551 हैक्टे एवं ख0सं0 1950/1758 रकबा 0.1133 हैक्टे0 पर वादीगण एवं प्रतिवादी सं0 2 लगायत 4 काबिज होने से उक्त रकबा तक ही वाद वादीगण स्वीकार किये जाने योग्य पाया जाता है।

आदेश

परिणाम स्वरूप एतद् द्वारा तहसीलदार तालेडा को निर्देशित किया जाता है कि वादीगण एवं प्रतिवादी सं0 2 लगायत 4 की वादग्रस्त आराजी का आवंटन निरस्त नही किया गया हो तथा आवंटी द्वारा आवंटन शर्तो की पालना कर दी हो , उक्त भूमि खनन हेतु प्रस्तावित नही हो, उक्त भूमि पर किसी न्यायालय का स्थगन न हो तथा आवंटी तथा वर्तमान गैरखातेदारो के विरूद्ध धारा 91 भू–राजस्व अधिनियम की कार्यवाही संस्थित नही की गई हो व आवंटी मौके पर काबिज काश्त होकर आवंटन की शर्तो की पालना कर रहा हो तो नियमानुसार वादग्रस्त आराजी ख0सं0 1859/1758 रकबा 1.9991 में से 1.7551 हैक्टे एवं ख0सं0 1950/1758 रकबा 0. 1133 हैक्टे0 वाके ग्राम डाबी पटवार मण्डल डाबी तहसील तालेडा जिला बून्दी को गैरखातेदारी से खातेदारी दर्ज करने की कार्यवाही संस्थित करे। तदनुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

यह निर्णय आज दिनांक 23.01.2024 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर सरेइजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद पुर्ति नियमानुसार दाखिल दफ्तर की जावे।

(हरबिन्दर डी. सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
तालेडा

Signature Not Verified

Digitally signed by Harbinder Dhillon Singh
Date: 2024.06.21 13:06:44 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री ब मुकदमें इब्तदाई

(आर्डर 20, रूल 6–7, जाब्ता दीवानी)

अज अदालत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तालेडा जिला बून्दी।

इजलास हरबिन्दर डी. सिंह, आर0ए0एस0

1. बाबूलाल पुत्र सरदारमल मृतक जर्ये वारिसान

1/1. लोकेश आ0 बाबूलाल आयु व्यस्क

1/2. मन्जू पुत्री बाबूलाल आयु व्यस्क

1/3. अन्जना पुत्री बाबूलाल आयु व्यस्क

1/4. चन्दादेवी पत्नी स्व0 बाबूलाल आयु व्यस्क जाति महाजन निवासी ग्राम डाबी तह0 तालेडा जिला बून्दी हाल निवासी बैंगू जिला चित्तोडगढ (राज.)

......वादीगण

बनाम

1. राजस्थान राज्य जर्ये तहसीलदार तहसील तालेडा जिला बून्दी (राज0)
2. सन्जू पत्नी कुलदीप आयु व्यस्क
3. विकिल सुराणा पुत्र कुलदीप आयु व्यस्क
4. हर्ष पुत्र कुलदीप आयु व्यस्क समस्त जाति महाजन निवासी ग्राम डाबी तह0 तालेडा हाल निवासी कोटा

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा– 88,89 आर.टी.एक्ट

68/दावा/2023

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू बहहाजरी श्री बृजमोहन गौतम एडवोकेट मिनजानिब मुदई ... मिनजातिब मुदायलह पेश होकर, हुक्म दिया जाता है व डिक्री जारी की जाती है कि तहसीलदार तालेडा को निर्देशित किया जाता है कि वादीगण एवं प्रतिवादी सं0 2 लगायत 4 की वादग्रस्त आराजी का आवंटन निरस्त नही किया गया हो तथा आवंटी द्वारा आवंटन शर्तो की पालना कर दी हो , उक्त भूमि खनन हेतु प्रस्तावित नही हो, उक्त भूमि पर किसी न्यायालय का स्थगन न हो तथा आवंटी तथा वर्तमान गैरखातेदारो के विरूद्व धारा 91 भू–राजस्व अधिनियम की कार्यवाही संस्थित नही की गई हो व आवंटी मौके पर काबिज काश्त होकर आवंटन की शर्तो की पालना कर रहा हो तो नियमानुसार वादग्रस्त आराजी ख0सं0 1859/1758 रकबा 1.9991 में से 1.7551 हैक्टे एवं ख0सं0 1950/1758 रकबा 0.1133 हैक्टे0 वाके ग्राम डाबी पटवार मण्डल डाबी तहसील तालेडा जिला बून्दी को गैरखातेदारी से खातेदारी दर्ज करने की कार्यवाही संस्थित करे। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करे।

नीज.............................. मुबलिग.............................. बाबत.....................खर्चा इस मुकदमे के मय शूद व शरह........................ फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक .... को अदा करे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Harbinder Dhillon Singh
Date: 2024.06.21 13:06:44 IST
Reason: SelfAttested

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुदायलाह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प वकालात		
स्टाम्प वकालात			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय		
बाबत इजराय हुक्मनामा			हुक्मनामा		
मुतफरिक			मुतफरिक		
मीजान					

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत आज तारीख 23 माह 01 वर्ष 2024 को जारी की गई।

मोहर

(हरबिन्दर डी.सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
तालेडा

Signature Not Verified

Digitally signed by Harbinder Dhillon Singh
Date: 2024.06.21 13:06:44 IST
Reason: SelfAttested